

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	--	v
कार्यकारी सारांश	--	vii-x
अध्याय-I: प्रस्तावना	--	1-9
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)	1.1	1-2
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)	1.2	2-3
योजनाओं के लिए वित्त-पोषण का स्वरूप	1.3	3-4
विभिन्न हितधारकों की भूमिका	1.4	4-7
वितरण कम्पनियों का संगठनात्मक ढाँचा	1.5	7
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.6	7
लेखापरीक्षा मानदण्ड	1.7	8
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, नमूना और कार्यविधि	1.8	8-9
अभिस्वीकृति	1.9	9
अध्याय-II: नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन	--	11-18
योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नियोजन	2.1	11
डीपीआर में ऑफ-ग्रिड संयोजनों को सम्मिलित न करना	2.1.1	11-12
वित्तीय प्रबंधन	2.2	12
निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त न कर पाने के कारण अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में अक्षमता	2.2.1	12-15
जीएसटी/राज्य करों के त्रुटिपूर्ण/अपर्याप्त दावे	2.2.2	15-16
आरईसी से अधिक ऋण पर परिहार्य ब्याज दायित्व के कारण हानि	2.2.3	16-17
आरईसी ऋण पर ब्याज का अधिक भुगतान	2.2.4	17
निष्कर्ष	-	18
अध्याय-III: योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन	--	19-39
योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र	3.1	19
योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वयन की स्थिति	3.1.1	19-22
डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन	3.2	22
अनावश्यक मदों के क्रियान्वयन के कारण परिहार्य व्यय	3.2.1	22-23

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
डीपीआर तैयार करने में लगी फर्मों को अधिक भुगतान	3.2.2	23-24
कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का उद्देश्य पूर्ण न होना	3.2.3	24
उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटरों के संस्थापन हेतु दोहरा भुगतान	3.2.4	24-25
सौभाग्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन	3.3	25
कार्यक्षेत्र के अनुसार आवश्यक न होने वाली मदों का क्रियान्वयन	3.3.1	25-26
विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुल्क के रूप में टीकेसीज़ को अधिक भुगतान	3.3.2	26-27
सैग/जम्परिंग के मद में टीकेसीज़ को अधिक भुगतान	3.3.3	27-28
समान प्रकृति के कार्य के क्रियान्वयन के कारण निष्फल व्यय	3.3.4	28-30
कोई भी सेवा संयोजन निर्गत किए बिना अवसंरचना का निर्माण	3.3.5	30
अपात्र उपभोक्ताओं को संयोजन निर्गत करना	3.3.6	31
स्मार्ट मीटरों के स्थान पर स्थैतिक ऊर्जा मीटरों का संस्थापन	3.3.7	31-32
टीकेसीज़ को अधिक भुगतान	3.3.8	32-35
दोहरे एसपीवी संयोजनों के लिए टीकेसीज़ को अधिक भुगतान	3.3.9	35-36
टीकेसीज़ के पास पड़ी विभागीय रूप से निर्गत सामग्री की लागत नहीं वसूली गयी	3.3.10	36-37
अनिच्छुक परिवारों का डाटा नहीं रखा गया	3.3.11	37
अपर्याप्त एसएलएससी बैठकें	3.3.12	38
अपर्याप्त दिशा बैठकें	3.3.13	38-39
निष्कर्ष	-	39
अध्याय-IV: लाभार्थियों का सर्वेक्षण	--	41-45
प्रस्तावना	4.1	41-42
लाभार्थियों के सर्वेक्षण का परिणाम	4.2	42
लाभार्थियों को एलईडी लैंपों और ऊर्जा मीटरों का प्रावधान	4.2.1	42
विद्युत आपूर्ति में वोल्टेज उतार-चढ़ाव	4.2.2	43

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता	4.2.3	43
गाँवों में वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इन्वर्टर्स का उपयोग	4.2.4	43
उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग पर प्रभाव	4.2.5	43
बच्चों के अध्ययन के घंटों पर प्रभाव	4.2.6	44
रात्रि में गतिशीलता/सुरक्षा पर प्रभाव	4.2.7	44
विद्युत आपूर्ति पर प्रभाव	4.2.8	44
निष्कर्ष	-	45

परिशिष्टियाँ	संख्या	पृष्ठ
लेखापरीक्षित मण्डलों और खण्डों को दर्शाने वाला विवरण	1.1	47-48
विभागीय रूप से आपूर्तित सामग्रियों पर एसजीएसटी का अधिक दावा दर्शाने वाला विवरण	2.1	49-51
आरईसी ऋणों पर ब्याज के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	2.2	52-53
संक्षेपणों की सूची		55-56